न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/50/2025	2025/201	10.10.2025	18.02.2026

1.राजेन्द्र कुमार राठौड पुत्र रामसिंह योगी, जाति जोगी, निवासी ग्राम कोडिया, तहसील रैणी, जिला अलवर राज.।
2.रतन योगी उर्फ रामरतन योगी पुत्र रामसिंह योगी, जाति जोगी, निवासी ग्राम कोडिया, तहसील रैणी, जिला अलवर राज.।

——अपीलाण्ट्स

बनाम

1.ओमप्रकाश पुत्र कैलाश, जाति मीना,
2.जैबाई पत्नी कैलाश, जाति मीना,
3.धर्मा देवी पुत्री कैलाश, जाति मीना,
4.प्रभू पुत्र हीरालाल, जाति मीना,
5.संगीता पुत्री कैलाश, जाति मीना,
6.हरिकिशन पुत्र हीरालाल, जाति मीना, निवासीयान ग्राम कोडिया तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान।

——असल रेस्पोडेंट्स

7.सुरेन्द्र सिंह राठौड पुत्र रामसिंह योगी जाति जोगी,
8.भगवान सहाय योगी पुत्र कजोड मल जाति जोगी,
9.रामगोपाल पुत्र कजोडमल योगी, जाति जोगी निवासियान ग्राम कोडिया, तहसील रैणी, जिला अलवर राज.।

——तरतीबी रेस्पोडेंट्स

राजस्व प्रथम अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट रैणी जिला अलवर राज. दिनांक 29.08.2025 प्रकरण संख्या 11/2025।

उपस्थितः—

01. श्री ओमानन्द चौधरी —वकील अपीलाण्ट्स
02. श्री रामजीवन बौद्ध —वकील रेस्पोडेंट 01
03. श्री जगदीश शर्मा —वकील रेस्पोडेन्ट्स 02 लगा0 05

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील निर्णय न्यायालय तहसीलदार रैणी जिला अलवर राज0 दिनांक 29.08.2025 प्रकरण संख्या 11/2025 से व्यथित होकर पेश की है। जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि आलोच्य निर्णय न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट रैणी दिनांक 29.08.2026 के खिलाफ यह प्रथम अपील न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य है। अपील हाजा पर नियमानुसार न्यायशुल्क 2/— रूपया तथा तलबाना सशुल्क चस्पा कर पेश की जा रही है। आलोच्य निर्णय न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट रैणी दिनांक 29.08.2025 की सत्य प्रतिलिपी अपील के साथ संलग्न कर प्रस्तुत की जा रही हैं। आलोच्य निर्णय न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट रैणी दिनांक 29.08.2025 की हम अपीलान्टस को पूर्व में कोई जानकारी नही थी। इसलिये हम अपीलान्टस समयावधि में अपील पेश नहीं कर सके, इसमें हम अपीलान्टस की कोई लापरवाही या बदयान्ति नहीं है। हम अपीलान्टस को तहत अदालत से जारी नोटिस की तामील होने पर हम अपीलान्टस व

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

तरतीबी रैस्पाडैन्टस व हमारी ओर से अधिवक्ता तहत अदालत में उपस्थित हुए तथा हम अपीलान्टस की ओर से तहत अदालत में प्रार्थनापत्र अर्न्तगत आदेश 7 रूल 11 व 151 सी पी सी पेश कर जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा गया। तत्पश्चात हम अपीलान्टस के अधिवक्ता द्वारा हमको मुकदमा की कार्यवाही के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। अब दिनांक 06.10.2025 को कर्मचारीयान राजस्व पटवारी हल्का आदि ने मौके पर आकर हम अपीलान्टस व तरतीबी रैस्पाडैन्टस को विवादित आराजी से बेदखल करने की कोशिश की, तथा आपत्ति करने पर मौखिक रूप से अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दी। जिस पर हम अपीलान्टस ने दिनांक 07.10.2025 को तहत अदालत में जानकारी कर नकल के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जो नकल दिनांक 08.10.2025 को तैयार होकर दिनांक 08.10.2025 को ही सांयकाल प्राप्त हुई। दिनांक 08.10.2025 को ही अलवर राजस्थान आकर नकल व कागजात वकील साहब को दिखाकर कानूनी राय ली गई, तो वकील साहब ने अविलम्ब अपील न्यायालय श्रीमान में पेश करने की कानूनी राय दी। इसके बाद अपील करने के लिए आवश्यक खर्चे का इंतजाम कर वकील साहब से अपील आदि तैयार कराकर अपील सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 06.10.2025 से अन्दर मियाद अदालत श्रीमान में प्रस्तुत की जा रही हैं। जहाँ निर्णय आरम्भ से ही अवैद्य व शून्य हो, तथा पीडित पक्षकार को बिना सुने पारित किया गया हों, वहा मियाद का बिन्दु गौण हो जाता हैं, ऐसे निर्णय को न्यायहित में कभी भी चैलेन्ज किया जा सकता हैं, मियाद की कोई पाबन्दी नहीं हैं। ऐसा विधि का सुस्थापित सिद्धान्त हैं। इसलिए मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाकर आलोच्य निर्णय तहत अदालत दिनांक 29.08.2025 से सर्वप्रथम जानकारी की दिनाक 06.10.2025 तक का समय जो हम अपीलान्टस की जानकारी के अभाव में लाइल्मी होने के कारण मियाद में मुजरा देकर माफ किये जाने योग्य हैं। जिसके लिये प्रार्थनापत्र जेर दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 मय हलफनामा अलग से अदालत श्रीमान में पेश किया जा रहा हैं।

आराजी भूमि खसरा नंबर 437/0.60, 440/0.65, 441/0.39, 442/0.11 कुल किता 4 रकबा 1. 21 है० वाके ग्राम कोडिया तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान में स्थित है। उक्त आराजी के सम्बन्ध में असल रैस्पाडैन्टस प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तहत न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, रैणी अलवर राजस्थान के समक्ष दिनांक 30.05.2025 को प्रस्तुत किया गया। जिस प्रार्थना पत्र का निर्णय दिनांक 29.08.2025 को तहत अदालत द्वारा हम अपीलान्टस व तरतीबी रैस्पाडैन्टस को बिना सुनें व जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दियें, पारित किया गया हैं, तथा हम अपीलान्टस व तरतीबी रैस्पाडैन्टस को उक्त आराजी से बेदखल कर असल रैस्पाडैन्टस प्रार्थीगण को कब्जा दिलवाने के लिए आदेश पारित किया गया हैं। जिस निर्णय से असंतुष्ट होने के कारण हम अपीलान्टस द्वारा यह अपील बिना किसी देरी अदालत श्रीमान में पेश की जा रही है। आलोच्य निर्णय तहत अदालत बेजा व विधि विरुद्ध एंव मौके व कब्जे के खिलाफ होने के कारण निरस्त होने योग्य हैं, निरस्त फरमाया जावें। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। उक्त विवादित आराजी भूमि खसरा नंबर 437/0.60, 440/0. 65, 441/0.39, 442/0.11 कुल किता 4 रकबा 1.21 हैं। वाके ग्राम कोडिया तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान में स्थित हैं। उक्त विवादित आराजी के साबिक आराजी खसरा नंबर 54 रकबा 5 बिस्वा, 57 रकबा 15 बिस्वा, 58 रकबा 12 बिस्वा, 59 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 60 रकबा 15 बिस्वा, 61 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 5 बीघा हैं। उक्त विवादित आराजी हम अपीलान्टस व तरतीबी रैस्पाडैन्टस के बुजुर्ग सुमरथा पुत्र मूलचन्द जाति जोगी निवासी ग्राम कोडिया तहसील राजगढ हाल तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान को असल रैस्पाडैन्टस प्रार्थीगण के बुजुर्ग दादा हीरालाल पुत्र सोला मीना जाति मीना निवासी ग्राम कोडिया तहसील राजगढ हाल तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान ने जरिये इकरारनामा/शपथपत्र सवा दौ रूपये के स्टाम्प पर दिनांक 03.11.1980 को लिखकर दी थी, और उसमे साफ लिखा हैं, कि विवादित आराजी से हमारा किसी भी प्रकार का संबध वो वास्ता नहीं हैं। हम अपीलान्टस व तरतीबी रैस्पाडैन्टस ने तहत अदालत में उक्त इकरारनामा/शपथपत्र की छायाप्रति भी पेश की गयी। लेकिन तहत अदालत ने कोई गौर नहीं किया। असल रैस्पाडैन्टस प्रार्थीगण ने तथ्यों को छिपाकर तहत अदालत में प्रार्थनापत्र धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर आलोच्य निर्णय पारित कराया हैं। इसलिए आलोच्य निर्णय तहत अदालत निरस्तनीय हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

हैं। असल रैस्पाडैन्टस प्रार्थीगण ने तहत अदालत में गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया गया हैं, जो कानूनन चलने योग्य नहीं था। उक्त प्रार्थनापत्र में असल रैस्पाडैन्टस प्रार्थीगण ने समस्त तथ्य झूठे दर्ज किये हैं, कि उका आराजी हम अपीलान्टस व तरतीबी रैस्पाडैन्टस को बंटाई पर दी थी। जबकि सही बात यह है, कि हम अपीलान्टस व तरतीबी रैस्पाडैन्टस हमारे बुजुर्गों के समय से उक्त विवादित आराजी/भूमि को काम में लेते चले आ रहे हैं, तथा अरसे दराज से उक्त विवादित आराजी में कुल कार्य काश्तकारी करते चले आ रहे हैं। मौके पर हमने खेत बांट रखे हैं। असल रैस्पाडैन्टस प्रार्थीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर तहत अदालत में कार्यवाही की हैं, जो कानून के हिसाब से स्टोपल हैं। जब कानूनन एक बार कोई भी भूमि के बारे में लिखा पढ़ी होकर जिस समय टिनेन्सी एक्ट बना, और धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संशोधन हुआ, उससे पूर्व ही विवादित्त आराजी पर हम अपीलान्टस व तरतीबी रैस्पाडैन्टस व हमारे पूर्वज काबिज रहकर कुल कार्य काश्तकारी करते चले आ रहे हैं, तथा हर प्रकार से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। ऐसी सूरत में असल रैस्पाडैन्टस को तहत अदालत में कोई कार्यवाही करने का नैतिक एवं विधिक अधिकार नही था। असल रैस्पाडैन्टस प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र क्षेत्राधिकार के अभाव में विधि वर्जित होने के आधार पर सव्यय खारिज किए जाने योग्य था। परन्तु तहत अदालत ने विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के विपरित निष्कर्ष निकालते हुए, क्षेत्राधिकार विहिन निर्णय पारित किया हैं। इसलिए आलोच्य निर्णय तहत अदालत निरस्तनीय हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं।

विवादित आराजी पर हम अपीलान्टा व तरतीबी रैस्पाडैन्टस अपने बुजुर्गों के समय से वर्तमान तक काबिज चले आ रहे हैं, रिर्पोट पटवारी हल्का ने तहत अदालत में पेश की गयी हैं। लेकिन तहत अदालत ने पटवारी हल्का के कोई बयान नही लिये, ना ही हम अपीलान्टस व तरतीबी रैस्पाडैन्टस को सुनवाई एवं जवाब प्रार्थनापत्र व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया। तहत अदालत ने आलोच्य निर्णय विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित पीडित पक्षकार को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर दिये, बिना पारित किया गया है। इसलिए आलोच्य निर्णय तहत अदालत निरस्तनीय हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। विवादित आराजी पर हम अपीलान्टस व तरतीबी रैस्पाडैन्टस ने अनाधिकृत रूप से कोई जबरन कब्जा नहीं किया हैं। हम अपीलान्टस व तरतीबी रैस्पाडैन्टस हमारे बुजुर्गो के समय से अपने जायज अधिकारों के तहत काबिज चले आ रहे हैं। दिनांक 28.05.2025 को मौके पर हम अपीलान्टस व तरतीबी रैस्पाडैन्टस के मध्य प्रार्थनापत्र में वर्णन अनुसार कोई घटना या वार्तालाप नही हुआ। असल रैस्पाडैन्टस प्रार्थीगण ने तहत अदालत में प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 30.05.2025 को प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व विवादित आराजी के बाबत हम अपीलान्टस अप्रार्थी व तरतीबी रैस्पाडैन्टस अप्रार्थीगण द्वारा असल रैस्पाडैन्टस प्रार्थीगण से मारपीट व गाली गलौच करने बाबत कोई रिर्पोट वगैरा दर्ज नहीं हुई हैं। लेकिन बिना जवाब प्रार्थनापत्र व साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर दिए. आलोच्य निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित निष्कर्ष निकालते हुए, पीडित पक्षकार को बिना सुने पारित किया गया हैं। जो निरस्तनीय हैं। काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। हम अपीलान्टस व तरतीबी रैस्पाडैन्टस व उनके बुजुर्गों का विवादित आराजी पर सन 1980 से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू हुआ, उससे पूर्व से कब्जा काश्त रहा है, तथा बुजुर्गान के मरने के बाद भी वर्तमान में हम अपीलान्टस व तरतीबी रैस्पाडैन्टस का कब्जा चला आ रहा है। परन्तु तहत अदालत ने गौर नहीं किया। तथा हम अपीलान्टस व तरतीबी रैस्पाडेन्टस को उक्त विवादित आराजी से बेदखल किए जाने का आलोच्य निर्णय पारित किया है। इसलिए आलोच्य निर्णय तहत अदालत निरस्त कियें जानें योग्य हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। तहत अदालत ने आलोच्य निर्णय प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तो एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, व सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम के प्रावधानों के विपरित निष्कर्ष निकालते पारित किया हैं, इसलिये निरस्तनीय हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। तरतीबी रैस्पाडैन्टस तहत अदालत में पक्षकार मुकदमा बनाये गये है. जिनके विवादित आराजी, प्रकरण व अपील में हित निहित हैं, जो अपीलान्टस बनकर पैरवी करने में असमर्थ हैं, इसलिये रफाये हुज्जत तरतीबी रैस्पाडैन्टस पक्षकार मुकदमा बनाया गया हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

हैं। शेष उजरात तथ्य वक्त बहस मौखिक रूप से अदालत श्रीमान के समक्ष अर्ज किये जावेगें। अतः अपील अपीलान्टस प्रस्तुत कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट रैणी (अलवर) दिनांक 29.08.2025 निरस्त फरमाया जावे। तथा असल रैस्पाडैन्टस प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सव्यय खारिज फरमाया जावें। खर्चा मुकदमा अपीलान्टस को असल रैस्पाडैन्टस से हरदो अदालत का दिलाया जावें। व जो अन्य उचित आज्ञा जो न्यायसंगत हों, बहक अपीलान्टस विरूद्ध असल रैस्पाडैन्टस सादिर फरमाई जावें। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट्स जरिये अभिभाषक उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉड तलब किया गया।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

वकील अपीलांट्स द्वारा दौराने बहस अंकन कराया कि उक्त विवादित आराजी हम अपीलान्टस व तरतीबी रैस्पाडैन्टस के बुजुर्ग सुमरथा पुत्र मूलचन्द को असल रैस्पाडैन्टस प्रार्थीगण के बुजुर्ग दादा हीरालाल पुत्र सोला मीना ने जरिये इकरारनामा/शपथपत्र सवा दौ रूपये के स्टाम्प पर दिनांक 03.11.1980 को लिखकर दी थी, और उसमे साफ लिखा हैं, कि विवादित आराजी से हमारा किसी भी प्रकार का संबध वो वास्ता नहीं हैं। हम अपीलान्टस व तरतीबी रैस्पाडैन्टस ने तहत अदालत में उक्त इकरारनामा/शपथपत्र की छायाप्रति भी पेश की गयी। लेकिन तहत अदालत ने कोई गौर नहीं किया। असल रैस्पाडैन्टस प्रार्थीगण ने तथ्यों को छिपाकर तहत अदालत में प्रार्थनापत्र धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर आलोच्य निर्णय पारित कराया हैं। इसलिए अपील अपीलांट्स स्वीकार की जावे। वकील अपीलांट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किये हैं जो निम्न प्रकार हैं– एस0सी0 1982 पेज 831, 2019(1) आरआरटी पेज 281, 2025(1) आरआरटी पेज 194, 2021 आरबीजे पेज 231, 2016 आरबीजे पेज 468।

वकील रेस्पोडेंट्स द्वारा वकील अपीलांट्स द्वारा किये गये कथनों को नकारते हुए कथन किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह कहते हुए निर्णय पारित किया कि विवादित भूमि ग्राम कोड़िया तहसील रैणी, जिला अलवर की है जो भूमि वैधानिक रूप से अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रार्थीगण (ओमप्रकाश आदि) के नाम दर्ज है। इस पर अन्य पिछड़ा वर्ग के अप्रार्थीगण (सुरेन्द्र आदि) ने अवैध कब्जा कर रखा था। अप्रार्थीगण ने 1980 के एक शपथ पत्र के आधार पर जमीन खरीदने का दावा किया, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया क्योंकि अनुसूचित जनजाति की भूमि गैर–अनुसूचित जनजाति को बेचना धारा 42 का स्पष्ट उल्लंघन है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी की रिपोर्ट और राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर अतिक्रमण साबित होने पर अतिक्रमियों को तत्काल भूमि से बेदखल कर, मूल खातेदारों (प्रार्थीगण) को कब्जा सौंपने का अंतिम आदेश पारित किये हैं जो सर्वथा उचित हैं। भूमि अनुसूचित जनजाति के नाम रिकॉर्ड में होने से तथा अन्य पिछडा वर्ग के व्यक्तियों द्वारा कब्जा किये जाने पर ही न्यायालय तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय उचित है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन–मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का भी अवलोकन किया गया। अपीलान्टस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, रैणी, जिला अलवर द्वारा प्रकरण संख्या 11/2025 में पारित आदेश दिनांक 29.08.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 437/0.60, 440/0.65, 441/0.39, 442/0.11 वाके ग्राम कोड़िया मूल रूप से अनुसूचित जनजाति वर्ग के हीरालाल

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

मीना (रेस्पोन्डेन्ट्स के पूर्वज) की खातेदारी भूमि है। अपीलान्टस (अन्य पिछड़ा वर्ग) अपना अधिकार 03.11.1980 के एक सादा इकरारनामा/शपथपत्र पर आधारित करते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि का हस्तांतरण किसी गैर–अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति को करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। ऐसा कोई भी हस्तांतरण आरंभ से ही शून्य माना जाता है। चूंकि हस्तांतरण स्वयं विधिक रूप से शून्य है, अतः अपीलान्टस का उक्त भूमि पर चाहे कितना भी पुराना कब्जा क्यों न हो, वह उन्हें कोई विधिक स्वत्व (Legal Title) या खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं कर सकता। कानून की दृष्टि में अपीलान्टस की हैसियत मात्र एक अतिक्रमी की है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी अवैध कृत्य को समय बीतने के साथ वैधता प्राप्त नहीं हो सकती। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183बी विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति/जाति के व्यक्तियों की भूमि से अतिक्रमियों को बेदखल करने की त्वरित प्रक्रिया प्रदान करती है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट और राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर यह सही निष्कर्ष निकाला है कि अपीलान्टस का कब्जा अवैध है। अपीलान्टस का यह तर्क कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं मिला, पत्रावली के तथ्यों से मेल नहीं खाता है। धारा 183बी की प्रकृति संक्षेप कार्यवाही की है, जिसमें रिकॉर्ड के आधार पर त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जाता है। एसटी वर्ग की भूमि की सुरक्षा विधिक प्राथमिकता है।

पत्रावली पर आये तथ्यों से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, रैणी द्वारा दिनांक 29.08.2025 को पारित निर्णय पूर्णतः तथ्यपरक, न्यायसंगत और विधिक प्रावधानों (विशेषकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 एवं 183बी) के अनुरूप है। उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार इस न्यायालय को प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने के कारण खारिज योग्य पाई जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रैणी जिला अलवर द्वारा प्रकरण संख्या 11/2025 में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2025 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि०
राजस्थान
सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर